न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ़ (जिला श्रीगंगानगर)

पीठासीन अधिकारीः—कन्हैयालाल सोनगरा (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या—01 / 2021 दायरा दिनांक 22.01.2021 GCMS CASE NO-2021/1

ताराचन्द पुत्र भादरराम जाति स्वामी निवासी सरदारपुरा खर्था तहसील सूरतगढ़

—अपीलांटस

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व सूरतगढ़

—रेस्पोडेंट

अपील अर्न्तगत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम

उपस्थितः—

1. श्री धर्मपाल सिहाग, अधिवक्ता अपीलांट
2. पैरोकार राज, रेस्पोडेंट

—:: निर्णय ::— दिनांक :08.01.2025

अपीलांटस ने यह अपील पेश कर निवेदन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ़ ने प्रकरण संख्या 14 / 2020 व अनवान सरकार ताराचन्द में दिनांक 05.10.2020 को अपीलाधीन निर्णय पारित कर जैर अपील रकबा यथा रोही सरदारपुरा खर्था के खसरा न. 226 / 4 की 3.036 है0 रकबा पर अपीलांट को अतिक्रमी मानते हुए, अपीलांट को बिना कोई नोटिस दिये अपीलांट की पीठ के पीछे अपीलांट को अतिक्रमी घोषित कर अपीलांट की फसल कुर्क करने, कुर्कशुदा फसल नीलाम करने व पेनल्टी राशि वसूल करने व अपीलांट को बेदखल कर कब्जा बहक सरकार लेने का निर्णय दिया है। इस प्रकार एक कई सजाये दी है। जैर अपील रकबा पिछले 15—20 वर्षो से अपीलांट के कब्जा काश्त में चल आ रहा है। कब्जा नियमन के संबंध में आवंटन अधिकारी सूरतगढ़ के समक्ष कार्यवाही जैरकार है। अपीलांटस कब्जे के आधार पर नियमन आवंटन के पात्र भी है। अधीनस्थ न्यायालय ने उपरोक्त तथ्यों की अनदेखी करते हुए जैर अपील आदेश पारित किया है जिसे खारिज किया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेंट को जरिये नोटिस तलब किया गया। अपीलांट की ओर से अधिवक्ता श्री धर्मपाल सिहाग उपस्थित हुए। रेस्पोडेंट की ओर से पैरोकार राज हाजिर आये। अधीनस्थ न्यायालय का संबंधित अभिलेख मंगवाकर शामिल मिसल किया गया। बहस उभय पक्ष सुनी गई।

वकील अपीलांट ने दौराने बहस अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराया एवं कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश एकतरफा तौर पर विधि विरूद्व पारित किया गया है जिसे निरस्त किया जावे।

रेस्पोडेंट पैरोकार राज ने दौराने बहस कथन कि जैर अपील भूमि पर अपीलांट ने रकबा राज भूमि पर अतिक्रमण कर फसल खरीफ संवत 2077 बीजांत रखी था। जैर अपील आदेश द्वारा नियमानुसार ही कार्यवाही की गई है,जो विधिसम्म्त है। अतः अपील अपीलांट निरस्त की जावे।

हमने उभय पक्ष की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। प्रकरण में पटवारी [illegible] से रिपोर्ट प्राप्त होने पर अपीलांट को जरिये नोटिस तलब किया गया। उक्त नोटिस अपीलांट को विधिवत रूप से तामील हुआ होने था जिस पर अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय के [illegible] हाजिर भी हुआ है। जिससे जाहिर है कि अपीलांटस को अपीलाधीन आदेश की भलीभांति जानकारी थी। इसके [illegible] धारा 22 उपनिवेशन अधिनियम 1954 [illegible] है। अधीनस्थ न्यायालय [illegible] पारित

Signature Not Verified
Digitally signed by Kanhaiya Lal Songara
Date: 2025.01.28 11:18:22 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (श्री गंगानगर)
1120

Scanned with OKEN Scanner

आदेश में विधिवसम्मत होने से उक्त आदेश में किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना हम उचित नही समझते है।

अतः अपील अपीलांट निरस्त की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को पालनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु भिजवाई जावे। निर्णय प्रति सहित अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख वापिस लौटाया जावे। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(कन्हैया लाल सोनगरा)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (श्री गंगानगर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Kanhaiya Lal Songara
Date: 2025.01.28 11:18:22 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner